

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)

(NAAC मान्यता प्राप्त "A" ग्रेड विश्वविद्यालय)



दूरभाष : कार्यालय : 0761-4009762

ईमेल : rdvvcc1@rediffmail.com

जबलपुर, दिनांक: 24/06/2025

क्रमांक / कु.स. / 2025 / 714

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष / विभाग प्रमुख
शिक्षण विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. समस्त प्राचार्य / प्राचार्या,
सम्बद्ध महाविद्यालय,
जिला- जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी, नरसिंहपुर।

विषय: वर्ष 2024 का क्रेडिट डाटा 30 जून तक NAD/ABC पोर्टल पर अपलोड करना एवं विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा APAAR डाटा में सुधार करने विषयक।

संदर्भ: आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन का पत्र क्रमांक / 601 / आउशि-टीएल / शा-5'अ' / 2024, भोपाल दिनांक 20.06.2025.

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित संलग्न पत्र का अवलोकन करें। पत्रानुसार वर्ष 2024 का क्रेडिट डाटा NAD/ABC पोर्टल पर अपलोड संबंधी कार्यवाही तथा APAAR डाटा में सुधार की शत-प्रतिशत कार्यवाही 25.05.2025 तक कार्यवाही पूर्ण करने एवं दिनांक 27.06.2025 तक पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है एवं कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण किये जाने के निर्देशित किया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2024 के 98% क्रेडिट डाटा NAD/ABC पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं एवं शेष 2% डाटा जिनमें विद्यार्थियों की APAAR ID - Invalid/Wrong है या Name Mismatch show हो रही है जिस कारण उक्त डाटा अपलोड नहीं हो सका। उक्त त्रुटिपूर्ण डाटा की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rdunijbpin.org पर प्रदर्शित की जा चुका है। त्रुटि सुधार हेतु पूर्व में भी कई बार महाविद्यालयों से पत्राचार किया जा चुका है।

अतः विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची डाउनलोड कर संबंधित महाविद्यालय के स्तर पर ही विद्यार्थियों के APAAR ID में सुधार करते हुये सही APAAR ID के साथ सूची विश्वविद्यालय की ई-मेल rdvvdigilocker@gmail.com पर अनिवार्य रूप से प्रेषित करें एवं विद्यार्थियों की संशोधन पश्चात् प्राप्त APAAR ID को RDVV MPOOnline पोर्टल के "**Update Your ABC ID**" पर भी अपडेट कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि विद्यार्थियों के क्रेडिट डाटा NAD/ABC पोर्टल पर शतप्रतिशत अपलोड किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक: 24/06/2025

पृ.क्र. / कु.स. / 2025 / 714 अ

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य / प्राचार्या, वि.वि. से सम्बद्ध समस्त अग्रणी महाविद्यालय।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर संबंधित महाविद्यालयों को समुचित निर्देश प्रसारित किये जाने हेतु।
4. परीक्षा नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
5. कुलगुरु जी के सचिव, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004

क्रमांक /601/आउशि-टीएल/शा-5'अ'/2024, भोपाल दिनांक: /06/2025

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.
2. कुलसचिव,
समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश
3. प्राचार्य,
समस्त शासकीय अग्रणी/स्वशासी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश.

विषय:-वर्ष 2024 का क्रेडिट डाटा 30 जून तक NAD/ABC पोर्टल पर अपलोड करना एवं विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा APAAR डाटा में सुधार करने विषयक।

संदर्भ:-मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 765/1852389/2024/38-3, दिनांक 12/06/2025.

- 2- मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 514/1852389/2024/38-3, दिनांक 02/04/2025,
- 3- मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 178/1852389/2024/38-3, दिनांक 04/02/2025.
- 4- मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 1180/1852389/2024/38-3, दिनांक 04/02/2025.
- 5- मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक 1764/1852389/2024/38-3, दिनांक 17.12.2024.
- 6- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा का पत्र क्रमांक 601/आउशि-टीएल/शा-5'अ'/2024, दिनांक 06.01.2025.
- 7- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा का पत्र क्रमांक DHE/2/9/0019/2025-ACAD-DHE, 1/239670/2025, Dt.22/04/2025.
- 8- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा का पत्र क्रमांक 424665/677/आउशि/अका./2025, दिनांक 22 मई, 2025.

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। विभाग एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए गए पत्रों के परिप्रेक्ष्य में NAD/ABC पोर्टल पर अपलोड संबंधी कार्यवाही तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा APAAR डाटा में सुधार की शत-प्रतिशत कार्यवाही 25 जून, 2025 तक पूर्ण कर ली जाए तथा दिनांक 27 जून, 2025 तक एकजाई पालन प्रतिवेदन संबंधित कुलसचिव एवं क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Digitally signed by
Nishant Warwade
Date: 20-06-2025
16:03:37

(निशांत वरवडे)
आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक /601/आउशि-टीएल/शा-5'अ'/2024, भोपाल दिनांक: /06/2025

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 2- स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 3- निज सहायक, समस्त कुलगुरु राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- 4- समस्त प्राचार्य, शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश